पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी सं 03/2025
OPERATING SAFETY ALERT NO. 03/2025

विषय:- DFCCIL के प्रयागराज वेस्ट यूनिट के न्यू सुजातपुर और न्यू रसूलाबाद स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिगनल को लाल में पार करके पीछे से टक्कर ।

दिनांक 04.02.2025 को मालगाड़ी RTPR जो न्यू सुजातपुर स्टेशन से 03 बजकर 10 मिनट पर प्रस्थान कर ऑटोमेटिक सिगनल संख्या A-3211 को एक पीला संकेत में पास किया और अगला ऑटोमेटिक सिगनल संख्या A-3209 के लाल संकेत को पार कर पहले से खड़ी मालगाड़ी MIGK से पीछे से टकरा गई , जिसके परिणाम स्वरुप मालगाड़ी MIGK का ब्रेकवान एवं मालगाड़ी RTPR का लीडिंग इंजन अवपथित हो गया तथा ट्रेलिंग इंजन मालगाड़ी MIGK के पिछले वैगन पर चढ़ गया ।

कारण :- मालगाड़ी RTPR के लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट द्वारा सिगनल के संकेत का पालन नहीं किया जाना ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सामान्य एवं सहायक नियम 9.02 का पालन करते हुए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट अपनी गाड़ी के संचलन संबंधी प्रत्येक सिगनल के दिखाई देते ही उसे पहचानेंगे और **पुकार कर एक दुसरे को सिगनल का संकेत बताएंगे** ।
2. यदि लोको पायलट को 'ए' चिन्ह 'मार्कर लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक रोक सिगनल 'ऑन' स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिगनल के पहले ही रोक देगा।
3. गाड़ी को सिगनल के पहले रोक देने के बाद, लोको पायलट वहाँ, **दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट तक रूकेगा।** यदि इतने समय तक प्रतीक्षा के बाद भी सिगनल 'ऑन' ही रहता है तो वह निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिगनल का आदान-प्रदान करेगा। फिर वह अगले रोक सिगनल की ओर, जहाँ तक लाइन साफ है, अत्यधिक सतर्कतापूर्वक के साथ, **दृश्यता पूर्णतः साफ होने पर 15 कि0मी0 प्रति घंटा** की गति से आगे बढेगा । गोलाई, वर्षा, धुंध, धूल भरी आंधी या किसी अन्य कारण से अथवा इंजन पुशिंग के मामलों में, जब आगे की **दृश्यता स्पष्ट न हो तो** लोको पायलट अत्यधिक सतर्कतापूर्वक उस गति से आगे बढ़ेगा जो किसी भी दशा में **10 किमी प्रति घंटे** से अधिक नहीं होगी ।
4. ऑटोमेटिक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पास करने के बाद लोको पायलट अगले रोक सिगनल तक अति सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। यदि सिगनल 'ऑफ' भी है तो भी लोको पायलट वहाँ तक किसी संभावित अवरोध पर लगातार निगाह रखेगा। वह उस सिगनल तक सतर्कता पूर्वक जाएगा और वहाँ पहुँचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा।
5. किसी स्वचालित रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करने के बाद गाड़ी का गार्ड निगरानी रखेगा कि लोको पायलट निर्धारित गति को पार नहीं करे।
6. जब भी कोई ऑटोमेटिक रोक सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास किया जाता है तो गार्ड अपने ट्रेन जर्नल में उस सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने का समय और अगले रोक सिगनल को पास करने का समय दर्ज करेगा ।
7. दो सिगनलों के पास करने के समय के साथ-साथ ऑटोमेटिक रोक सिगनल के 'ऑन' स्थिति में पास करने के ऐसे सभी मामलों को कंट्रोल कार्यालय में रखे गये एक विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त घटना की पुनरावृति को रोकने के लिए सभी संबधित कर्मचारियों को **सामान्य एवं सहायक नियम 9.02** के सम्बन्ध में सघन काउंसलिंग करें एवं **Ambush Check** के दवारा कर्मचारियों की सतर्कता जांच हेतु आवश्यक कारवाई करें ।

मनोज सिंह 6/2/25

(डॉ ० मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबन्धक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505 दिनांक 06.02.2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे , हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा आधिकारी/पूमरे , हाजीपुर को सूचनार्थ ।
3. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ ।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।